कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com , Fax/☎ 05964-225234

पत्रांकः 4089 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 31 दिसम्बर, 2025।

सेवा में,

वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या 314/2018 डीडीहाट ग्राम ननपापो में हेलीपैड निमार्ण हेतु 0.15 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्रामीण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यूसीपी0/09/39/2023/एफसी0 दिनांक 23.06.2025 व प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक सं0 106/12–1 देहरादून दिनांक 15 जुलाई, 2025 एवं वन क्षेत्राधिकारी डीडीहाट का पत्रांक 277/12–1 दिनांक 16/10/2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय के पत्र संख्या 8बी/यू0सी0पी0/09/39/2023/एफ0सी0 दिनांक 23–06–2025 द्वारा विषयक प्रकरण में एप्रोच मार्ग के अवैध निर्माण में पाये गये अपराधियों दिनेश सिंह, प्रवीण सिंह एवं पूरन सिंह को किस संस्था द्वारा मार्ग निर्माण हेतु ठेका दिया गया था के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना चाही गयी थी, जिस कम में वन क्षेत्राधिकारी डीडीहाट द्वारा अपने सन्दर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि "ननपापों हैलीपेड अप्रोच मार्ग के अवैध निमार्ण में आरोपी प्रवीण सिंह से पूछताछ में यह तथ्या सामने आया कि ननपापो हैलीपैड के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण निमार्ण विभाग द्वारा अनुबन्ध पत्र संख्या 18/ग्रा0नि0वि0/ई0ई0/2021/22 के माध्यम से श्री भगवान सिंह देउपा को ठेका दिया गया था। ननपापों हैलीपैंड के निमार्ण हेतु आवश्यक मशीन एवं उपकरणों को कार्य स्थल पर पहुचाने हेतु आरोपी द्वारा अप्रोच मार्ग का चौडीकरण किया गया एवं किसी अन्य संस्था द्वारा अप्रोच मार्ग बनाने के लिए पृथक से ठेका नहीं दिया गया था। उक्त अपराध हेतु पूर्व में ही आरोपी द्वारा जुर्माना जमा किया जा चुका है।"

इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेंसी/ग्रामीण निर्माण विभाग, डीडीहाट द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा विकास खण्ड डीडीहाट के ग्राम ननपापों में हैलीपैड निर्माण हेतु अनुबन्ध गठित किया गया है, जिसमें मोटर मार्ग के निर्माण का कोई प्राविधान नहीं है।

अतः उपरोक्त कम में सूचनार्थ इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश देना चाहें।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।